

अज अगलत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदसर जिला चित्तौडगढ
 मांगीलाल वगैर ॥ बनाम ॥ धन्ना वगैर
 किरम मुकदमा प्रा०प० अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. मुकदमा नम्बर. 63/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2020/00053	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.06.2020	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०ए०के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा रेवलियाकलां पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदसर में स्थित खाता संख्या 118 में अंकित आराजी नम्बर 518 रकबा 0.04 हैक्टेयर स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदसर को 2000/- अक्षरे दौ हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में मौजा रेवलियाकलां पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदसर में स्थित खाता संख्या 118 में अंकित आराजी नम्बर 518 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के जारी सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	

(अंजु शर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी
 भदसर

